

FORM-1

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

No---

Dated-----

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.170 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD Gauchar, Uttarakhand for Construction of new motor road "Extension of Nauti-Chatoli motor road up to Jakhet" in Chamoli district falls within jurisdiction, Bhatgwali village (s) in Aadibadri/Gairsain tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.170 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha 'Bhatgwali' sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.


Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
चमोली

ANNEXURE....

**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Chamoli (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ashok Kumar, I.A.S District Magistrate Chamoli on date 20.5.2015 at time 17.00 at Gopeshwar in which application claiming rights in Total area measuring 0.730 hect for the construction of "Extension of Nauti-Chatoli motor road up to Jakhet" and forest land 0.170 hect under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Aadibadri/Gairsain sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar

Dated:.....


**District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee**

जिलाधिकारी
चमोली

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत शा. भु. धो. में नौटी-हातेली मोटर मार्ग का जखेट तक विस्तार के निर्माण हेतु 0.140 हे. एवं मन्त्र डिस्पोजल हेतु 0.030 हे. कुल 0.170 हे. सिविल ग्राम का लो. नि. वि. को हस्तान्तरण, वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - भटवाली
तहसील आदिवासी, जिला - कोशी

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अनापत्ति प्रमाण पत्र नौटी-हातेली मोटर मार्ग का जखेट तक विस्तार परियोजना के निर्माण हेतु (—X— हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.140 हे0 सिविल सोयम भूमि एवं मन्त्र डिस्पोजल हेतु वन पंचायत भूमि —X— हे0) अर्थात् कुल 0.170 हे0 वन भूमि का लो. नि. वि. हेतु 0.030 हे. जोचा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन-मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भटवाली द्वारा दिनांक 21.12.15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भटवाली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 0.170 हे. प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / [Signature]
ग्राम सचिव श्री. का. नीचरी

शिव द. प्रधान अधिकारी

श्री. आलु



नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

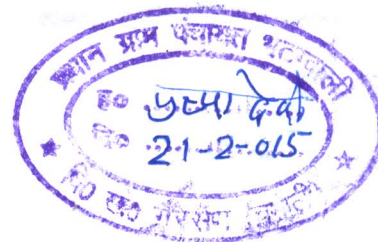
दिनांक 21/2/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत अरवाली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	प्रकाश नवगी 5/0 प्रेमवत्स	0-2-15
	द्वारिका प्रसाद 5/0 अदनमोहन	
	आनन्दसिंह 5/0 रामगोपाल	
	दरमानसिंह 5/0 बक्तावतसिंह	
	शारदासिंह 5/0 सुवनसिंह	
	चर्नसिंह 5/0 महेन्द्रसिंह	
	लक्ष्मणसिंह 5/0 सोवनसिंह	
	आलमसिंह 5/0 उज्जसिंह	
	रुजोनासिंह 5/0 मधुसूतसिंह	
	मदनसिंह 5/0 विक्रमसिंह	
	भोलसिंह 5/0 मोनसिंह	
	अमरसिंह 5/0 गोपालसिंह	

ह0/-

ग्राम प्रधान



प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत मा.मु.द्यो. में नौरी-छातेली मोरग्राजि के जखेट तक विस्तार के निर्माण हेतु 0.140 हे. एवं मरू स्थि जल हेतु 0.030 हे. कुल 0.170 हे. सिविल वन भूमि का लो. नि. वि. को हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, आदिबढ़ी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, आदिबढ़ी

उपखण्ड आदिबढ़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत नौरी-छातेली मोरग्राजि के जखेट तक विस्तार के निर्माण हेतु (X) हे० आरक्षित वन भूमि 0.140 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.030 हे० सिविल वन भूमि पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.170 हे० वन भूमि) का लो. नि. वि. गौचर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील आदिबढ़ी) की दिनांक _____ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री _____, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री _____ उपजिलाधिकारी _____ अध्यक्ष
- 2- श्री डी० एस० गुप्ता उप प्रभागीय वनाधिकारी _____ सदस्य
- 3- श्री सुन्दर लाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी _____ सदस्य / सचिव
- 4- श्री _____ बी०डी०सी० क्षेत्र _____ निम्न सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

राज्य योजना के अन्तर्गत मा.मु.द्यो. में नौरी-छातेली मोरग्राजि के जखेट तक विस्तार के निर्माण हेतु 0.140 हे. एवं मरू स्थि जल हेतु 0.030 हे० वन भूमि कुल 0.170 हे. सिविल वन भूमि का लो. नि. वि. को हस्तान्तरण।

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

डी०एस० गुप्ता
राजस्व उप निरीक्षक
तहसील-आदिबढ़ी
जिला-चमोली

केदारनाथ वन जीव प्रभाग

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, _____ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैंक में सर्वसम्मति से उपखण्ड आदिवासी परिक्षेत्र के अन्तर्गत नैरी - हातोली क्षेत्र आदिवासी परियोजना के निर्माण हेतु 0.170 हे० वन भूमि लो.नि.वि. जैच प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

रजिस्टर उप निरीक्षक
तहसील-
जिला-चमोली

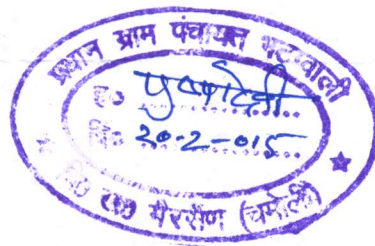
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-आदिवासी
जनपद-चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, _____ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-आदिवासी
जनपद-चमोली

"अनापात प्रमाण पत्र"

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत भटवाली के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ के नयी-होलेसी गैरसँगा भटवाली तहसील (खण्ड) के सम्बन्ध में योजना का निर्माण कार्य जनहित में है, उक्त स्वीकृत कार्य स्वयं के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत एवं ग्रामसभा भटवाली के किसी भी सदस्य के कोई आपत्ति नहीं है, अतः ग्राम पंचायत उपर्युक्त स्वीकृत कार्य मार्ग के सम्बन्ध में अनापात प्रमाण पत्र निर्गत करती है,



ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत

- भटवाली
वि. ख. गैरसँगा
तहसील - आदिवड़ी
जिल्हा - कोटली